

दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली
कार्यालय महानिदेशक (कारागार): दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवन्ती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता : श्री नरेश चन्द त्यागी
आर.टी.आई कम्प संख्या : 10868-एफ दिनांक 14/06/2023
अपील कम्प संख्या : 49 दिनांक 07/08/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-(01) द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन और प्रथम अपील का अवलोकन किया। अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अवगत कराया है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-(01) के द्वारा कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- (01) के द्वारा दिनांक 14.07.2023 को उत्तर भेजा जा चुका है जबकि दिए गए उत्तर में सभी प्रश्नों की संख्या को अंकित नहीं किया गया है।

यद्यपि, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक कारागार संख्या-1 के द्वारा अपीलकर्ता को इस संबंध प्राप्त आवेदनों में दो बार पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है बावजूद इसके अपीलकर्ता पुनः समान प्रश्नों के साथ आर.टी. आई एक्ट 2005 के अर्न्तगत आवेदन करके जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक के संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। अतः अपीलकर्ता को माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या-सी.आई.सी/ए. एल.डी.एम.यू./ए/2017/102135 दिनांक 24.4.2017 के अनुसार सूचित किया जाता है कि एक नागरिक को समान प्रकार की सूचना की जानकारी हेतु आवेदन को बार बार नहीं दोहराना चाहिए।

वर्तमान में दायर प्रथम अपील में किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

उप महानिरीक्षक कारागार/
प्रथम अपीलीय अधिकारी १९

श्री नरेश चन्द त्यागी

F10(3476489)/ID-10868-F/CJ/Legal/2023/51725/5585-86 Dated: 18/08/2023

आवश्यक सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

1. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-01, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.